लालबत्ती और सायरन के बिना वीआईपी

अवधेश कुमार

कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई वीआईपी जा रहा हो और यातायात सामान्य रूप में चलता रहे। किसी को वीआईपी के आने-जाने का पता भी न चले। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप ऐलान किया है कि उनका कोई विधायक या मंत्री लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप की घोषणा हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के निकट है जिसमें उसने कहा है कि केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की गाड़ियों पर ही लालबत्ती का प्रयोग होना चाहिए। दिल्ली के विधायकों को पहले से ही लालबत्ती नहीं मिली हैं, किंतु प्रावधान के विपरीत फ्लैश वाली लालबत्ती और सायरन लगाकर घूमने की बातें सामने आती रहती हैं। यूपी में तो न्यायालय के आदेशों के विपरीत ये सारी चीजें जिले-जिले में दिखाई पड़ती हैं। दरअसल, आम आदमी पार्टी की घोषणा और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक सामान्य बात लग सकता है, किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई विकृतियों को दूर करने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है।

गाड़ियों में किस्मत

भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान आम जनता से अलग रहते हुए शासक के मनोविज्ञान का अभ्यस्त हो चला है। इसे रोकने के प्रयास उस मनोविज्ञान पर एक सीमा तक चोट पहुंचाएंगे। आप इसका कितना पालन करती है, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि वीआईपी संस्कृति के बीच काम करते हुए उसकी भाव-भंगिमाओं से पूरी तरह मुक्त रहना आसान नही होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी नौबत ही नही आनी चाहिए थी जिसमें न्यायालय को यह कहना पड़े कि केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को गाड़ियों पर ही लाल बत्ती का इस्तेमाल हो और सायरनों का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं और पुलिस द्वारा ही किया जाए। ऐसी सामान्य बातें सत्ताधारी लोगों को खुद ही समझ लेनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज कौन ट्रैफिक पुलिस वाला किसी लालबत्ती वाली गाड़ी को रोककर उस पर जुर्माना करने की हिम्मत जुटा सकता है? उसे पता है कि उसकी किस्मत इन गाड़ियों में बैठे लोगों के ही हाथ में है।

इससे पहले अपने एक उन्य आदेश में अदालत ने कहा था कि पुलिसकर्मियों को वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगाने के बजाय महिलाओं के लिए सड़क को सुरक्षित बनाने जैसे बेहतर उद्देश्यों में लगाया जाना चाहिए। यह टिप्पणी लालबत्ती से अलग वीआईपी सुरक्षा के विरूद्ध थी।

आप की सरकार यदि इस वीआईपी संस्कृति का अंत करने पर अडिग है तो इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसा नही हैं कि इस संबंध में पहले से कोई नियम नहीं थे। केन्द्र सरकार ने 11 जनवरी 2002 और 28 जुलाई 2005 को अधिसूचनाएं जारी की थीं, जिनके आधार पर राज्य सरकारों को भी अधिसूचनाएं जारी कर स्पष्ट करना ाि कि लालबत्ती लगाने का अधिकार किस-किस को है। इसके अनुसार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता को फ्लैशर वाली लाल बत्ती का उपयोग की अनुमति है। मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक, लोकसीाा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, महाधिवक्ता, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, उप-मंत्री, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को फ्लैशर के बिना लाल बत्ती का उपयोग करना है। राज्यों में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री तथा केंद्रिय सूची के समकक्षों को ही लालबत्ती का उपयोग करना चाहिए। किंतु वो अधिसूचनाएं कहां गई, किसी को पता नहीं। लालबत्ती की सूची में न जाने कितने नाम बिना अधिसूचना के शामिल हो गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही नही, अनुमंडलाधिकारी तक लालबत्ती का उपयोग कर रहे हैं। याद करिए, न्यायालय ने जिस दिन यह आदेश दिया था, नेताओं और नौकरशाहो ने इस पर नाखुशी जाहिर की थी।

ब्रिटेन और इंडिया

अगले कुछ दिनों में गठित होने वाली दिल्ली सरकार न्यायालय के आदेश के अनुरूप संवैधानिक पदों की सूची तैयार कर सौंप दे तो इससे एक बड़ी शुरूआत हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने वीआईपी के रूतबे वाले प्रतीकों का दुरूपयोग रोकने के लिए कदम उठाना तो दूर, इनको बढ़ाने का अपराध किया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि को इसलिए लालबत्ती या सायरन इसलिए मिला है, क्योंकि उनका समय देश के लिए कीमती है। वे अगर अनावश्यक सड़क जाम में फंस गए तो उससे देश को, यानि हम सबको नुकसान होगा। किंतु विशिष्ट व्यक्ति होने की विकृत सोच के कारण इनका भयानक दुरूपयोग हो रहा है।

जिस ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली सीखी है। वहां के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन लंदन की मेट्रो रेल में आराम से सफर कर सकते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री नही। आखिर क्यों?

लेखक प्रसिद्ध पत्रकार है